समाहरणालय, लातेहार

(आपूर्ति शाखा)

प्रेस विज्ञप्ति

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम -2013 के अंतर्गत आच्छांदित सभी लाभुकों को सूचित किया जाता है कि 15 अगस्त 2016 से सभी लाभुकों को बायोमैट्रिक पद्धति (e-pos) से खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाना है जिसके लिए सभी लाभुकों का आधार संख्या, खाता संख्या एवं मोबाईल संख्या प्राप्त होना अनिवार्य है।

अतः ऐसे सभी राशन कार्डधारियों से अनुरोध है कि वे अपने परिवार के मुखिया अन्य सदस्यों का आधार कार्ड की छाया प्रति, मोबाई संख्या एवं बैंक खाता संख्या अपने जन वितरण प्रणाली दूकानदार, प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी के पास अविलम्ब जमा कर दें अन्यथा भविष्य में संबंधित विवरणी जमा न करने वाले कार्डधारियों को बायोमैट्रिक पद्धति लागु होने पर खाद्यान्न से वंचित होना पड़ सकता है।

सभी जन वितरण प्रणाली दूकानदार एवं प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी को निदेश है कि इस संबंध में राशन कार्डधारियों को प्रेरित कर दिनांक 20.07.2016 तक सभी लाभूकों का आधार संख्या, बैंक खाता संख्या एवं मोबाईल संख्या प्राप्त कर जिला आपूर्ति कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित करेंगे।

9/7/16

जिला आपूर्ति पदाधिकारी,
लातेहार।